



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

PBR/ निगरानी/धार/भू.र/2018/1924

रतनलाल पिता कन्हैयालाल फौत वारिस  
आनंदीलाल पिता बजरंगलाल शर्मा, जाति ब्राम्हण  
निवासी-ग्राम तिरला तह. व जिला धार म०प्र०

.....निगरानीकर्ता

बनाम

कुंवर हर्षवर्धन पिता सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत  
निवासी-ग्राम गंगानगर तह. व जिला धार म०प्र०

.....विपक्षी

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० मुजब

नायब तहसीलदार वृत्त-2 तिरला तह. व जिला धार के प्रकरण कमांक  
35/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22/11/2017 से  
असंतुष्ट होकर निगरानी पेश है )


A L Li

*[Handwritten signature]*

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2018/1924

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त 2 तिरला तहसील धार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, जिला ग्वालियर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 7-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> <p style="text-align: left;"> A.B.R.</p>	